न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 02/2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00006

अपीलांटगण :–

1. विनोद पुत्र श्री मिश्रीलालजी,
2. विकास पुत्र मिश्रीलालजी
3. गोपीदेवी बेवा मिश्रीलालजी

जातिगण–कुम्हार, निवासीगण–कैरला, तहसील पाली जिला–पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :–

1. मंगलामराम पुत्र चिमनारामजी
2. खीमाराम पुत्र चिमनारामजी
3. काबरराम पुत्र मूलारामजी
4. अणदाराम पुत्र मूलारामजी
5. मोरकी पुत्री मूलाराम पत्नी मोहनलालजी निवासी–लूनी
6. मिश्री पुत्री मूलारामजी, पत्नी रूपारामजी निवासी– गिरादड़ा
7. देदाराम पुत्र खीमारामजी
8. ओमाराम पुत्र खीमारामजी
9. मोहनलाल पुत्र बींजाजी
10. हीराराम पुत्र बींजाजी
11. जेठी पत्नी जसारामजी
12. राजाराम पुत्र जसारामजी
13. कुपाराम पुत्र जसारामजी
14. पानीदेवी बेवा नरसिंगजी
15. मदनलाल पुत्र जोगारामजी,
16. भीकाराम पुत्र मांगारामजी

    समस्त जातिगण कुम्हार निवासीगण–कैरला तहसील व जिला पाली(राज.)
17. मृतक भँवरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत, निवासी–केरला तहसील व जिला–पाली के कायममुकाम :–

    17/1. भँवरी कँवर बेवा भँवरसिंहजी,
    17/2. भरतसिंह पुत्र स्व. भँवरसिंहजी
    17/3. पिंकी पुत्री स्व. भँवरसिंहजी
    17/4. मेना पुत्री स्व. भँवरसिंहजी
    17/5. मोनिका पुत्री स्व. भँवरसिंहजी
18. देवीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
19. पुखसिंह पुत्र किशनसिंहजी
20. हीरसिंह पुत्र किशनसिंहजी
21. इलायची बेवा लक्ष्मणसिंहजी

    जातिगण–राजपूत निवासीगण केरला तहसील व जिला पाली।
22. हकीया पुत्र कुपाजी
23. मोहन पुत्र कुपाजी

    जातिगण मेघवाल निवासीगण–केरला तहसील व जिला–पाली।
24. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की [illegible] सेन
रेस्पोडेंट की ओर से अधिव[illegible]न्द्र पटेल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:25:50 IST
Reason: SelfAttested

:: नि[illegible] ::

दिनांक :– [illegible]9/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अ[illegible]त धारा 75 राजस्[illegible] भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 303 पारित दिनांक 19.6.2000 जो तहसीलदार पाली द्वारा पारित किया गया जो ग्राम केरला पटवार हल्का रूपावास से सम्बन्धित है के विरूद्ध उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई है।

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश:......................2

अपील म्याद बाहर होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र पेश कर अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार कराने हेतु निवेदन किया है अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज कर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं तहसीलदार पाली से मूल नामान्तरकरण संख्या 303 दिनांक 19.6.2000 को तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि मौजा केरला, पटवार हल्का रूपावास, भू.अ.नि. रूपावास, तहसील पाली की सरहद के खसरा नंबर 97, रकबा 119 बीघा 16 बिस्वा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 101 रकबा 0.05 बिस्वा, किस्म गै.मु. बेर एवं खसरा नंबर 246 रकबा 0.04 बिस्वा, किस्म गै.मु. बेरा कुल रकबा 120 बीघा 05 बिस्वा सहखातेदारी भूमी स्थित है। जिसमें मिश्रीलाल पुत्र नरसिंग जी, कौम–कुम्हार, निवासी–केरला, तहसील एवं जिला पाली सहखातेदार थे। मिश्रीलाल का स्वर्गवास सन् 1999 में हो जाने से जैर अपील नामान्तरकरण उनके विधिक वारिसान प्रार्थीगण की पत्नी व दोनों जायन्दा पुत्र के नाम भरा गया जिसमें मिश्रीलाल की पत्नी अपीलार्थी संख्या 3 गोपीदेवी का तो सही नाम दर्ज किया गया परन्तु अपीलार्थी संख्या 1 व 2 क्रमशः "विकास एवं विनोद" के स्थान पर "सुरेश एवं दीपाराम" दर्ज कर जैर अपील नामान्तरकरण बिना विधिक वारिशानों की जांच व सुनवाई का अवसर दिये स्वीकृत कर दिया गया। अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, विधार्थी परिचय पत्र राजकीय माध्यमिक विधालय धरमधारी की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलांट संख्या 1 व 2 का सही नाम " विकास पुत्र मिश्रीलाल जी एवं विनोद पुत्र मिश्रीलाल जी" दर्ज है जो पत्रावली संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है। तथा मिश्रीलाल जी के नाम ग्राम केरला के खसरा नंबर 189 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा बाबत भरे गये फौतेदगी म्यूटेशन 369 दिनांक 01.12.2009 में अपीलांट संख्या 1 व 2 के सही नाम का अंकन किया गया गया है जिसकी फोटोप्रति भी पत्रावली संलग्न है। इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2018 बअनवान विनोद वगैरा बनाम काबरराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 14.3.2019 से भी स्पष्ट है कि एक अन्य नामान्तरकरण संख्या 305 दिनांक 19.6.2000 में अपीलांट संख्या 1 व 2 के गलत नाम इन्द्राज हो जाने से इस न्यायालय द्वारा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर स्व. मिश्रीलाल के विधिक वारिशनों की जांच एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए सही नामों का इन्द्राज करते हुए नामान्तरकरण पारित करने हेतु तहसीलदार पाली को निर्देशित किया गया था। अपीलांटगण को उक्त भूमी पर बोई हुई फसल की नुकसान के मुआवजा के लिये कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का से चालू जमाबन्दी की मांग करने पर पटवार हल्का ने अवगत कराया कि अपीलांट संख्या 1 व 2 के नाम "सुरेश एवं दीपाराम पुत्र मिश्रा जी" दर्ज है न कि " विनोद एवं विकास पिसरान मिश्रीलाल" तब अपीलांटगण ने पाली आकर नकलें प्राप्त कर इस न्यायालय में उक्त अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर म्याद धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश की। अपीलाधीन नामान्तरकरण भरते समय अपीलांट संख्या 1 व 2 नाबालिग थे व अपीलांट संख्या 3 अनपढ ग्रामीण महिला थी। अतः अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार फरमाकर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमावे व अपीलार्थी का सही नाम " विकास पुत्र मिश्रीलाल जी एवं विनोद पुत्र मिश्रीलाल जी" दर्ज करते हुए विधी अनुसार पुनः नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत कराने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण भरा जाते समय अपीलांटगण के सही नाम इन्द्राज नहीं किया जाना एक विधिक भूल है जिसे पूनः विधिक वारिसान के सही नाम इन्द्राज किये जात है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:25:50 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली संलग्न दस्तावेजों एवं जैर अपील नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील अपीलाण्टगण के नामों का इन्द्राज गलत होने से उनके हक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपीलाण्ट के हक अधिकारों पर विचार करते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार की जाती है तथा गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है।

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः......................3

जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 303 पारित दिनांक 19.06.2000 तथा वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 369 पारित दिनांक 01.12.2009 दोनों ही ग्राम केरला के है तथा दोनों में ही अंकित खसरा नम्बरान का खातेदार काश्तकार मिश्रा पिता नरसिंग है एवं दोनों ही नामान्तरकरण मिश्रा पुत्र नरसिंग कुम्हार निवासी केरला के फौत होने पर उनके विधिक वारिशान के नाम नामान्तरकरण इन्द्राज किए गए है। दोनों नामान्तरकरण में से नामान्तरकरण 303 मिश्रा के फौत होने पर उसके विधिक वारिशान के रूप में सुरेश, दीपाराम पिता मिश्रा एवं गोपीदेवी पत्नी मिश्रा दर्ज है, जबकि अन्य फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 369 में मिश्रा के विधिक वारिशान के रूप में विनोद, विकास पिता मिश्रा एवं गोपी पत्नी मिश्रा दर्ज है। दोनों में भिन्नता है, जिससे स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण में अपीलांटगण के नामों का इन्द्राज बिना सुनवाई किए, बिना विधिक वारिशान की जांच के भरा गया। अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, विद्यार्थी परिचय पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट संख्या 1 का सही नाम विनोद पुत्र मिश्रीलाल तथा अपीलांट संख्या 2 का सही नाम विकास पुत्र मिश्रीलाल है। तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2018 बअनवान विनोद वगैरा बनाम काबरराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 14.3.2019 से भी स्पष्ट है कि एक अन्य नामान्तरकरण संख्या 305 दिनांक 19.6.2000 में अपीलांट संख्या 1 व 2 के गलत नाम इन्द्राज हो जाने से इस न्यायालय द्वारा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर स्व. मिश्रीलाल के विधिक वारिशनों की जांच एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए सही नामों का इन्द्राज करते हुए नामान्तरकरण पारित करने हेतु तहसीलदार पाली को निर्देशित किया गया था। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार(भू.अ.) पाली द्वारा स्वीकृत मौजा केरला पटवार हल्का रूपावास तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 303 आदेश दिनांक 19.6.2000 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पाली को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. मिश्रीलाल के विधिक वारिशानों की बाद जांच एवं उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सभी वारिशान के नामों की विधीसम्मत जांच कर सही नामों का इन्द्राज करते हुए नामान्तरकरण पारित किया जावे। तहसीलदार पाली को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण संख्या 303 पालनार्थ लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:25:50 IST
Reason: SelfAttested